न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 171/2025
जीसीएमएस सं. 2025/471

अपीलांट्सः–

1. हडमत सिंह पुत्र दलपत सिंह
2. शोभाग सिंह पुत्र दलपत सिंह

जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम गिलाकोर, तहसील चामू, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंटः–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध निर्णय दिनांक 15.05.2024, तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण सं. 19/2024 बअनवान सरकार बनाम हडमत सिंह वगैरा, अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितिः–

अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी (अपीलांट्स की ओर से)

निर्णय **दिनांक 27.04.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण सं. 19/2024 बअनवान सरकार बनाम हडमत सिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 06.11.2025 को पेश की गई है। आक्षेपित आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत मौजा गिलाकोर के खसरा सं. 165/2 किस्म गैर मुमकिन ओरण भूमि पर 2 बीघा अतिक्रमण कब्जा व खसरा सं. 281/3 किस्म गैर मुमकिन ओरण पर 0–02 बीघा सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने इत्यादि बाबत पारित किया गया है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी तहसीलदार, चामू को नोटिस जारी करते हुए मूल पत्रावली तलब की गई, जो उनके पत्र क्रमांक राजस्व/2025/कोर्ट/830 दिनांक 12.12.2025 के पत्र से इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2026 के आधार पर मूल नक्शा लट्ठा ट्रेस मंगवाया गया, जो तहसीलदार, चामू से जरिये पत्र कमांक भू.अ. /2026/323 दिनांक 25.03.2026 द्वारा इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

3. अपील मीमों में वर्णित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी गिलाकोर ने अपीलार्थीगण के द्वारा ग्राम गिलाकौर के खसरा सं. 165/2 में से 02 बीघा किस्म गै.मु. औरण और खसरा सं. 281/3 में से 02 बिस्वा किस्म गै.मु. औरण की भूमि पर कमशः खसरा सं. 165/2 में सौंफ बो कर तथा खसरा सं. 281/3 में दुकान, टीनशेड का निर्माण का अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करनें की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2024 को न्यायालय तहसीलदार, चामू के समक्ष पेश की। न्यायालय तहसीलदार, चामू ने धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट्स के नाम नोटिस जारी किये। अपीलांट्स ने न्यायालय तहसीलदार, चामू के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुति हेतु समय चाहा जिस पर जवाब हेतु समय प्रदान कर पेशी दिनांक 15.05.2024 को नियत की तथा प्रथम अवसर दिनांक 15.05.2024 को अपीलार्थीगण का जवाब बंद कर प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय पारित कर खसरा सं. 165/2 और खसरा सं. 281/3 की भूमि पर अतिक्रमण का दोषी मानकर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय नहीं दिया जाकर एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रथम अवसर में ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया।

हल्का पटवारी द्वारा जिस गै.मु. ओरण भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बताया है, वह भूमि खसरा सं. 281/1 रकबा 05 बीघा गै.मु. आबादी का हिस्सा है। इस प्रकार अपीलार्थीगण के द्वारा जो दुकाने टीनशेड लगाकर निर्मित की है, वह आबादी भूमि होने से प्रत्यर्थी को उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आबादी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा मौका स्थिति का सही ढंग से निरीक्षण किये बिना गलत रिपोर्ट तैयार की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को बिना किसी जांच के सही मानकर अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय के जरिये अतिक्रमण का दोषी मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अंदर म्याद सुमार करते हुए स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय तहसीलदार, चामू द्वारा पारित

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2024 को अपास्त किये जाने का आदेश पारित फरमावे।

4. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी की अपील पर बहस सुनी गई।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों का दोहराते हुए तर्क दिया कि ग्राम गिलाकोर का मूल खसरा सं. 281 रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा से नया खसरा सं. 281/1 द्वारा 5 बीघा ग्राम पंचायत गिलाकोर को आबादी के लिए सेट अपार्ट कर दिनांक 08.04.2003 को नामांतरकरण सं. 130 ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया गया है। उक्त 5 बीघा में से 2 बिस्वा पर अपीलांट्स का कब्जा है, जिस पर खसरा सं. 281/3 में दुकान, टीनेशेड का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ बताया है। 5 बीघा आबादी भूमि सडक के दोनों ओर की हुई थी। तरमीम भी ऐसी ही थी। सडक भी उस समय थी व उस समय लोगो के कब्जे भी थे। अपीलांट्स का भी कब्जा था, लेकिन बाद में नक्शे में बिना किसी आदेश के तरमीम परिवर्तन कर दिया, जिससे अपीलांट्स का कब्जा ओरण भूमि में आ गया है तथा तहसीलदार ने धारा 91 की कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। मूल तरमीम की जांच की जावे, मूल तरमीम अनुसार अपीलांट्स का कब्जा आबादी में आया हुआ है। यदि तरमीम शुद्धि की जायेगी तो अपीलांट्स का कब्जा आबादी में ही है, ओरण भूमि पर नहीं है। ख.नं. 165/2 में फसल बोई हुई थी, जो हटा ली गई थी। वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। फसल नष्ट की हुई है। मौका रिपोर्ट देखी जावे। ओरण भूमि पर अपीलांट्स का अतिक्रमण नहीं होकर आबादी भूमि पर है, ख.नं. 281/3 की तरमीम कर जांच करवाई जावे। अतः न्यायालय तहसीलदार, चामू के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर गंभीरता से मनन किया।

7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर, अपील अंदर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है तथा अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित मानता है।

8. अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि हल्का पटवारी गिलाकोर ने अपीलार्थीगण के द्वारा ग्राम गिलाकौर के खसरा सं. 165/2 में से 02 बीघा किस्म गै.मु. औरण और खसरा सं. 281/3 में से 02 बिस्वा किस्म गै.मु. औरण की भूमि पर क्रमशः खसरा सं. 165/2 में सौंफ बो कर तथा खसरा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सं. 281/3 में दुकान, टीनशेड का निर्माण का अतिक्रमण कर करने का आरोप लगाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2024 को न्यायालय तहसीलदार, चामू के समक्ष पेश की। जिस पर प्रकरण सं. 19 दिनांक 20.03.2024 को दर्ज कर, अपीलांट्स के नाम नोटिस निर्धारित प्रपत्र क (नियम 3) दिनांक 20.03.2024 को ही जारी किया गया है, जिसकी पालना में अपीलांट अगली सुनवाई तिथि दिनांक 28.03.2024 को स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर है। न्यायालय तहसीलदार, चामू द्वारा नियत आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 15.05.2024 को अपीलांट्स अनुपस्थित रहे एवं न्यायालय तहसीलदार, चामू द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2024 से अतिक्रमित भूमि से बेदखली के आदेश पारित कर दिये।

ग्राम गिलाकोर के खसरा नं. 281/3 की 02 बिस्वा एवं खसरा सं. 165/2 की 02 बीघा भूमि, गै.मु. ओरण सरकारी भूमि है तथा आवंटन हेतु धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। ख.नं. 165/2 में 2 बीघा पर अपीलांट्स स्वयं अतिक्रमण स्वीकार करते है तथा उसे हटा लिया गया है। यह स्वीकार्य तथ्य है।

ख.नं. 281/3 को अपीलांट्स 281/1 गै.मु. आबादी आवंटन बताते है तथा तरमीम गलत करने का कथन है। आबादी भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत को किया जाता है तथा प्रस्तावों अनुसार ही आवंटन पश्चात् तरमीम की जाती है। अगर तरमीम गलत होती तो भी एतराज करने का अधिकार केवल प्रभावित ग्राम पंचायत को ही है। नामांतरकरण की परत पर तरमीम अक्ष, आवंटन आदेश के अनुसार खींचा जाता है। आवंटन आदेश मय आवंटित भूमि का अनुमोदित मानचित्र भी पेश नहीं किया है। अपीलांट्स को आक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट्स ने अपने पक्ष में अतिक्रमित भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन/विक्रय करने का आदेश भी पेश नहीं किया है।

एक क्षण के लिए अगर, अतिक्रमित भूमि को आबादी भूमि मान भी ली जावे तो भी अपीलांट्स अतिक्रमी ही है। ग्राम पंचायत को दुकान के लिए भूमि विक्रय करने का अधिकार भी नहीं है। इसके अतिरिक्त आबादी भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 95(7) के अंतर्गत तहसीलदार, धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। अतः तरमीम गलत होने का कथन अस्वीकार है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट्स को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। दिनांक 28.03.2024 को अपीलांट स्वयं तहसीलदार कोर्ट में उपस्थित हुआ तथा अगली तारीख पर जवाब पेश करने हेतु दिनांक 15.05.2024 नियत की है, जिसमें वह अनुपस्थित रहा। धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही समरी प्रकार की है। अपीलांट स्वयं ने दिनांक 15.05.2024 को अनुपस्थित रहकर अपने अधिकारों का परित्याग किया है।

अतः सुनवाई का अवसर नहीं देने का कथन बेबुनियाद, तथ्यहीन व असत्य होने से अस्वीकार है तथा पारित किया गया आक्षेपित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

9. परिणामतः उपरोक्त विवेचनानुसार व विश्लेषणानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चामू द्वारा प्रकरण सं. 19/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 यथावत रखा जाकर, उसकी पुष्टि की जाती है तथा अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिये जाते है।
10. अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र भी खारिज कर निस्तारित किया जाता है।
11. निर्णय की प्रति के साथ मूल पत्रावली एवं मूल लट्ठा नक्शा ट्रेस तहसीलदार, चामू को तुरंत लौटाया जावे।
12. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर